

जेडीए के ज़ोन 10 में भूमाफियाओं द्वारा करीब 5 बीघा
कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी
और बनाई जा रही दर्जनों व्यवसायिक दुकाने!!

भाग-1

सरकारी शराब गोदाम की जमीन का खेल!



जेडीए के तमाम दावों के बावजूद, जेडीए के ज़ोन 10 में स्थित
सीबीआई फाटक, गंगा मार्ग, जगतपुरा स्थित RSBCL के गोदाम वाली करोड़ों की कृषि भूमि
और 160 फीट सड़क सीमा में आने वाली भूमि पर खेला जा रहा है यह खेल!!

फर्जी सोसाइटी के फर्जी पट्टों से बेची जा रही दुकाने और अवैध कॉलोनी के भूखंड!!

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

3 महीने पहले

f t



जेडीए के दावों की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया, जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ।

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों में कमी आई है और जयपुर के कोलोनाईजर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही

कॉलोनियों का निर्माण कर रहे

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

है। लेकिन भूमाफियाओं की

मनमानी के सामने शायद यह

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST



जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो रही है। आपको बता दें कि विगत 4 सालों में जेडीए के तत्कालीन मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व में सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए थे और वर्तमान में इक्का दुक्का कार्यवाहियों को छोड़, जेडीए के बाहरी इलाकों में इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई

हई है।

गृह निर्माण सहकारियों समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सुजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता नहीं है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

बैंकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किये गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दशाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैंक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो ये राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन क्विंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

गूगल मेप से ली गई फोटो जिसमे इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर,बाकी जमीन खाली दर्शाई गई है।



जेडीए के तमाम दावों के बावजूद,जेडीए के ज़ोन 10 मे स्थित सीबीआई फाटक,गंगा मार्ग,जगतपुरा स्थित RSBCL के गोदाम वाली करोड़ों की कृषि भूमि और 160 फीट सड़क सीमा मे आने वाली भूमि पर खेला जा रहा है यह खेल!!

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का धंधा जोरों पर है।इन ज़ोनो मे एक ज़ोन 10 भी है,जहां ताबड़तोड़ अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है।जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पा रही है।जेडीए के ज़ोन 10 मे स्थित सीबीआई फाटक,जगतपुरा स्थित RSBCL के गोदाम वाली करोड़ों की कृषि भूमि और 160 फीट सड़क सीमा मे आने वाली करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर आगे की तरफ दुकाने और पीछे की तरफ प्लॉट काट कर बेचने की तैयारियां चल रही है।आपको बता दें कि कृषि भूमि पर पूर्व मे राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से साँठ गांठ कर शराब का गोदाम चलाया जा रहा था,जिसे अनयंत्र शिफ्ट कर दिए जाने के बाद खाली हुई अब इस करोड़ों की जमीन पर अवैध व्यवसायिक दुकाने और प्लॉट काट कर अवैध कॉलोनी बसाने का खेल खेला जा रहा है।सूत्रों के अनुसार शराब गोदाम से लेकर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के बीच की करीब 5 बीघा बेशकीमती जमीन पर जेडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से दुकान बनाने और प्लॉट काटने का काम किया जा रहा है।यदि इस बेशकीमती कृषि भूमि को जेडीए विनियमों के तहत भू -उपयोग परिवर्तन करवाकर,बेचा जाता तो जहां एक तरफ जेडीए को लाखों करोड़ों रुपयों के राजस्व की आय होती वही दूसरी तरफ इस क्षेत्र का भी सुनियोजित विकास होता।लेकिन चंद रुपयों के लालच के चलते भूमाफिया ना केवल राजस्व को चुना लगा रहे है बल्कि शहर के सुनियोजित विकास मे भी बाधा बन रहे है।देखना यह है कि यह मामला सामने आने के बाद जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते है।

X

6 माह पूर्व की तस्वीर



वर्तमान तस्वीर



6 माह पूर्व की तस्वीर



वर्तमान में बन चुकी दुकानें





जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है इस फर्जी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?
4. क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
5. अब तक इस कृषि भूमि मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
6. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
7. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा?
8. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-10 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के बारे मे जानकारी है?
9. क्या जेडीए के इस ज़ोन 10 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?
10. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
11. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
12. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
13. क्या रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां महोदय इस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?